

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2189 / 2010 / भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वकर्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. ....अपीलार्थी.

बनाम  
मैसर्स आई. सी. जैन कॉन्स्ट्रक्टर, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा,  
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.  
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 08 / 01 / 2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 209 / आरएसटी / 08-09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.03.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वकर्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 का कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत दिनांक 01.08.2008 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान अवार्डर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा अवार्ड दिये गये कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म के समर्थन से रुपये 53,44,814/- के 'इलेक्ट्रिक वायर एवं केबल' आयात किये जाकर संविदा कार्य में इनका उपयोग किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के उक्त कृत्य को स्थानीय बिक्री की श्रेणी में मानते हुए, तदनुसार 9 प्रतिशत की दर से कर रुपये 4,81,033/- एवं ब्याज रुपये 56,628/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थीन आदेश दिनांक 09.03.2010 से स्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

८ नोव्हेम्बर

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 2259/2007/भीलवाड़ा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वकर्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2009 में 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयातित माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने पर इसे स्थानीय बिक्री मानते हुए करारोपण की पुष्टि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(जी) में दिनांक 11.5.2002 को संशोधन किया जाकर संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण को विक्रय माना गया है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात एवं राज्य में पंजीकृत संविदाकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म पर रियायती दर से आयात किये गये इलेक्ट्रिक वायर एण्ड केबल के संविदा कार्यों में उपयोग में लिये जाने के कारण यह अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के अन्तर्गत विक्रय होने से इस पर राज्य में कर की देयता बनती है। अतः इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया जाना न्यायसंगत था तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ट्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2001 (25 टैक्स वल्ड 241) द्वारा व्यवहारी के अन्तर्राज्जीय खरीद के तहत राज्य के बाहर से आयात कर संविदा संकर्म में राज्य में उपयोग में लिये गये माल को अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) में डीम्ड सेल मानने सम्बन्धी प्रावधानों को अवैध घोषित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उक्त निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है। इसी आधार पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 21 टैक्स अपडेट 39 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वकर्स टैक्स, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स यूनिक प्रिक्योर्ड रिट्रेडर्स प्रा० लि०, भीलवाड़ा एवं अपील संख्या 2055/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स मदनलाल बंसल एण्ड कम्पनी निर्णय दिनांक 18.08.2009 द्वारा संविदा संकर्म कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से आयातित माल के प्रयुक्त होकर सम्पत्ति के रूप में अन्तरण को डीम्ड सेल नहीं मानते हुए

लगातार.....3

करारोपण किया जाना अविधिक माना गया है। अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2259/2007/ भीलवाड़ा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2009 में भी राज्य के बाहर से आयातित माल का संविदा कार्य में उपयोग किये जाने को स्थानीय बिक्री इसी आधार पर माना गया है कि संविदा का निष्पादन राज्य के बाहर नहीं किया जाकर, राज्य में किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी एवं अवार्डर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ के मध्य संविदा का निष्पादन राज्य के बाहर इन्दौर (मध्यप्रदेश) में हुआ है। उक्त संविदा के फलस्वरूप ही प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से माल का 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयात कर कार्य संविदा में उपयोग किया गया है, जो कि अन्तर्राज्यीय बिक्री की श्रेणी में आने के कारण इस पर अधिनियम के तहत करारोपण नहीं किया जा सकता। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्घरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी एवं अवार्डर के मध्य निष्पादित संविदा का निष्पादन राज्य के बाहर (इन्दौर) में हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा 'सी' फॉर्म के समर्थन से राज्य के बाहर से माल आयात कर कार्य संविदा में प्रयुक्त किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने डीम्ड सेल मानते हुए, करारोपण किया गया है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 25 टैक्स वर्ल्ड 241 मैसर्स ट्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिं0 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2001 में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार विनिश्चय किया गया है :—

"In view of aforesaid, we have no hesitation in coming to the conclusion that the impugned provisions of Rajasthan Sales Tax Act, 1994 in so far as they have widened the scope of levy of tax notwithstanding that the agreement for works contract has been wholly or in part entered into outside the State of that the goods have been wholly or in part moved outside the State are ultra vires the Constitution.

Accordingly, the petitions are allowed as aforesaid. The impugned assessment orders for the assessment year 1997-98 and provisional assessment order for the year 1998-99 are quashed and set aside and the Assessing Officer is directed to decide the question of levy of tax *de novo* without taking into consideration the provisions of Explanation (2) of section 2(38) of the Act of 1994."

लगातार.....4

7. इसी प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2014) 70 वी.एस.टी. 84 (कर्न.) एशिया ब्राउन बोवेरी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

Sales tax-Works contract-Inter-State sale-Assessee entering into contract with KPTCL for project in Bijapur on Turnkey Basis-Assessee obliged under contract to procure material from manufactures inside state who complied with certain requirements-Assessee unable to find such manufacturer inside State procuring goods from outside State after getting permission from KPTCL-Inter-State movement of goods an incident of contract if not as result of covenant in contract-Goods procured purely for employment in project at Bijapur-Transaction inter-State purchases of goods used in execution of project-Not taxable undr State Act-Karnataka Sales Tax Act (25 of 1959), ss. 2(1)(u1), 5B-Central Sales Tax Act (74 of 1956) s. 3(a).

Legislative powers-State Legislature-Works contract State Legislature not competent to tax transfer of property in goods involved in execution of a works contract in respect of inter-State trade or commerce, sales outside State or sales in course of import or export-Constitution of India, arts. 286(1) 366(29A)(b); Sch. VII, List II, entry 54.

Sales tax-Inter-State Sale-Not necessary that sale must precede inter-State movement or that covenant regarding inter-State movement be specified in contract-Movement in pursuance of and incidental to contract of sale sufficient-Central Sales Tax ACT (74 of 1956), s. 3(a).

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2000) 119 एस.टी.सी.

182 (एस.सी.) 20th सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड निम्न न्यायिक दृष्टान्तों भी हस्तगत प्रकरण के सदृश तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में कार्य संविदा के निष्पादन में राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयातित माल के उपयोग को डीम्ड सेल मानते हुए किये गये करारोपण को अविधिक अवधारित किया गया है।

- (1) (2006) 16 टैक्स अपडेट 101 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, बीकानेर बनाम लाहोटी बिल्डर्स, बीकानेर
- (2) (2006) 16 टैक्स अपडेट 138 वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स बेअन्त कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सूरतगढ़
- (3) (2007) 18 टैक्स अपडेट 154 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, बीकानेर बनाम मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर

- (4) (2007) 19 टैक्स अपडेट 154 मैसर्स यूनिक प्रिक्योर्ड रिट्रेडर्स, मदाली खेड़ा, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा
- (5) अपील संख्या 2055/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स मदनलाल बंसल एण्ड कम्पनी निर्णय दिनांक 18.8.2009 में
9. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।
10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी ०८१०) २०१६  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य